न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **56 / 2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
2–3 परमेश्वर, भगवान पुत्र रामलाल निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
4 सुगनी पुत्री रामलाल पत्नी गोविन्द नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
5 सीता पत्नी रामलाल नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1–2 गीता पुत्री सोहन पत्नी गोपाल नायक निवासी जनाना हॉस्पीटल के सामने शाहपुरा
2 जमना पुत्री सोहन मिश्री नायक निवासी डाबला तह0 बनेड़ा
3–4 सत्यनारायण, जीवण पुत्र गोकल नायक निवासी गोपालपुरा, तहनाल
5–8 खूशबू, काली, कविता, सूरज पिता स्व0 कैलाश नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तह0 शाहपुरा
9. प्रेम पत्नी कैलाश नायक निवासी गोपालपुरा तहनाल तह0 शाहपुरा
10. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाहपुरा
11. तहसीलदार शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री योगेन्दसिंह भाटी**
अधिवक्ता प्रर्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **16 / 09 / 2020**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1548 रकबा 0.14 है0**, 1550 **रकबा 0.12 है0, 1770 / 3855 रकबा 0.26 है0 1070 रकबा 0.23 है0, 1549 रकबा 0.05 है0,** 1551 **रकबा 0.07 है0, 1552 रकबा 0.29 है0, 1553 रकबा 0.31 है0, 1554 रकबा 0.22 है0,** 1770 / 3660 **रकबा 0.27 है0 1894 रकबा 0.38 है0, 2354 रकबा 0.67 है0,** कुल **किता 12** रकबा 3.01 है0 हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम तहनाल संवत** 2076 से **2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा **तहनाल** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में से आराजी नम्बर 1770 / 3660 रकबा 0.27 है0 एवं 1770 / 3855 रकबा 0.26 है0 गे0मु0 रास्ता को छोड़कर शेष **किता 10 रकबा 2.48 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **500 /–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **16 / 09 / 2020** को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.19 17:28:19 IST
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner